Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ बून्दी में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी तहसील नैनवां 6,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 27 अगस्त, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई बून्दी द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी कन्हैया लाल हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी को परिवादी से अपने पिताजी के नाम जारीशुदा पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में 6,000/- हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बून्दी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि आरोपी कन्हैया लाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गुढा देवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी द्वारा परिवादी से उसके पिताजी के नाम जारीशुदा पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में **6,000/- रूपये** रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।

जिस पर ए.सी.बी. कोटा रेंज के **उप महानिरीक्षक श्री आनन्द शर्मा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. बून्दी के **उप पुलिस अधीक्षक श्री हरीश भारती** के नेतृत्व में आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचन्द** मय ट्रेप टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी कन्हैया लाल को परिवादी से अपने पिताजी के नाम जारीशुदा पट्टे का पंजीकरण करवाने की एवज में 6,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की जेब से बरामद की गई।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।